सीगा कैविएट प्रार्थना पत्र 148 ए सीपीसी (सरफेसी एक्ट) प्रकरण संख्या 62/2021 (GCMS 2021/178) 1. सौरभ गुप्ता पुत्र स्व. श्री सोहन लाल गुप्ता, जाति अग्रवाल निवासी पुरानी धानमण्डी, रायसिंहनगर 2. सोनिया गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी पुरानी धानमण्डी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर **बनाम सिटी यूनियन बैंक लि.**, शाखा 148ए एम आई रोड, नागल, जेसबोरा गोपालबारी जयपुर

07.03.2022

प्रार्थी अभिभाषक श्री जितेन्द्र पराशर ने वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रकरण के वसूली प्रकरण के सम्बन्ध में यह कैविएट प्रार्थना अन्तर्गत धारा 148 सीपीसी के तहत सिटी यूनियन बैंक के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता को कैविएट प्रार्थना पत्र के एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि फर्म बनवारी लाल परमानंद व गणपति फुट प्रोडेक्ट ने ऋण खाता संख्या 501312030010849,512020010019246 एवं 512020010020692 पर ऋण की सुविधा ली थी। जिस पर प्रार्थीगण की सम्पत्ति दुकान नं. 61, स्थित धानमण्डी, रायसिंहनगर को बंधक रखा होना बताकर दिनांक 24.04.2021 को अप्रार्थीगण को धारा 13(2) सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत नोटिस जारी किया, जो प्राप्त होने के उपरान्त प्रार्थीगण ने बैंक के कर्मचारी को कहा था कि उनके द्वारा कोई सम्पत्ति बंधक नहीं रखी है केवल मात्र गांरटी हेतु हस्ताक्षर करवाये थे। बंधक सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया था और वर्तमान में कोई भी मूल दस्तावेजात प्रार्थीगण के उक्त सम्पत्ति बैंक में बंधक रखे जाने के सम्बन्ध में नहीं है जिससे प्रमाणित हो की प्रार्थीगण ने कोई सम्पत्ति बंधक रखी हो। अतः उक्त समस्त तथ्यों को बताने के बा[illegible] अप्रार्थी बैंक उक्त सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा लेने के लिए दिनांक [illegible] को दुकान पर आये ओर कार्यवाही करने लगे तो उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा कहा गया [illegible] हम तो कार्यवाही करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा सही तथ्यों को बताये बिना ही प्रार्थीगण की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने जा रहे है। अतः आवेदन पत्र में किसी भी सुनवाई से पूर्व प्रार्थीगण को सुना जावे।

मैनें उक्त बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सिटी यूनियन बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्राथी सौरभ गुप्ता एवं सोनिया गुप्ता के विरूद्ध अभी तक कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 व्यवहार संहित प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है इसलिए वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही कैविएट प्रार्थना पर विचार किया जा सकता है अन्य किसी साधारण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत कैविएट प्रार्थना पर विचार नहीं हो सकता।** अतः इस सम्बन्ध मे **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक होगा जिसकी धारा 18 सी(1) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है :**

> **18C. Right to Lodge a Caveat :**
> **(1) Where an application or an appeal is expected to be made or has been made un[illegible]ection 17 or section 17A or sub-section1) of s[illegible] the secured creditor or any person claimi[illegible] before the Tribunal or the Court of District Judge or the A[illegible]llate Tribunal or the High Court as the case may be, on the hearing of such application or appeal, may lodge a caveat in respect thereof.**
> (2) ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 18सी के तहत Tribunal or the Court of District Judge or the Appellate Tribunal or the High Court के समक्ष ही कैविएट प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार से कैविएट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 व्यवहार प्रंक्रिया संहिता सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कैविएट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कैविएट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:54:24 IST
Reason: SelfAttested